-103-

110

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांक: प1(31) जविप्रा/उ.नि.(व्य.ब)/2006/डी- 271 दिनांक: 21/6/07

-: कार्यालय आदेश:-

राजस्थान सरकार, राजस्व (ग्रुप-6) विभाग की अधिसूचना दिनांक 08.03.06 एवं 11.12.06 के क्रम में जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा सिवाय चक राजस्व भूमि के विक्रय आगमों/ आवंटन / नियमितिकरण से प्राप्त राशि की 20 प्रतिशत राशि राज्य सरकार के निर्धारित मद में जमा करवाई जानी है । इस सम्बन्ध में सचिव ज.वि.प्रा. के आदेश कमांक 70 दिनांक 25.01.07 क्रम में विस्तृत निर्देश जारी किये गये जा चुके है । विस्तृत आदेश जारी होने के पश्चात भी जोन उपायुक्तो द्वारा वर्ष 2005-06 एव 2006-07 की स्वीकृतियां जारी नहीं करने के कारण राज्य सरकार को बकाया शेष राशि जमा कराना एवं सूचना प्रेषित करना संभव नहीं हो पा रहा है । अतः उक्त स्वीकृतियां प्राथमिकता से प्रेषित करवाना सुनिश्चित किया जावे अन्यथा सरकार द्वारा प्रकरण गंभीरता से लेने पर सम्बन्धित जोन उपायुक्त जिम्मेदार होंगें । वर्ष 2007-08 से नगरीय विकास विभाग राज्य सरकार को राज्य कोष से जमा की सूचना प्रत्येक माह प्रेषित की जानी है । अतः इस क्रम में प्रत्येक माह राशि जमा करवाई जाने की स्वीकृतियां जारी करें एवं राशि का चैक प्राप्त कर निर्धारित बजट मद मे जमा करवाकर सूचना संलग्न प्रोफार्मा में आगामी माह की 5 तारीख तक लेखा शाखा को प्रेषित करना सुनिश्चित किया जावे ताकि सूचना समय पर राज्य सरकार को प्रेषित करना सम्भव हो सके ।

सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

(1) निदेशक (वित्त),जविप्रा, जयपुर ।

(2) अतिरिक्त आयुक्त (पूर्व/पश्चिम), जविप्रा, जयपुर ।

(3) उपायुक्त जोन .... जविप्रा, जयपुर ।

(4) लेखाधिकारी (भुगतान), जविप्रा, जयपुर ।

सचिव